मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

समाचार

पूर्व क्षेत्र कंपनी के पेंशनर्स को मंहगाई राहत में वृद्धि

जबलपुर, 3 अक्टूबर 2019 ,

म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से सेवानिवृत्त सभी पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स को दी जा रही मंहगाई राहत राशि में 01 जनवरी 2019 से वृद्धि की गई है। कंपनी के कार्पोरेट कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कंपनी के ऐसे समस्त पेंषनर्स एवं परिवार पेंशनर्स जिन्हें वर्तमान में सातवें वेतनमान के तहत पेंशन मिल रही है उन्हें देय मंहगाई राहत में01 जनवरी 2019 से 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जिससे उन्हें मिलने वाली मंहगाई राहत की कुल दर 12 प्रतिशत हो जाएगी।

ऐसे पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स जिन्हें वर्तमान में छठवें वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त हो रही है उन्हें देय मंहगाई राहत में 01 जनवरी 2019 से 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जिससे उन्हें मिलने वाली मंहगाई राहत की कुल दर 154 प्रतिशत हो जाएगी। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंषन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।

सभी पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स को मंहगाई राहत की बढी हुई राशि का भुगतान4 समान किष्तों में माह अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 की पेंशन के साथ किया जाएगा।

समाचार क्रमांक: 46

(के.पी.श्रीवास्तव)
जनसंपर्क अधिकारी